

**Central Goods & Services Tax Rules, 2017**

**Rule 160 : Recovery from company in liquidation**

Where the company is under liquidation as specified in section 88, the Commissioner shall notify the liquidator for the recovery of any amount representing tax, interest, penalty or any other amount due under the Act in **FORM GST DRC-24**.

---

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

**नियम 160 : समापनाधीन कंपनी से वसूली**

जहां कंपनी समापनाधीन है जैसा कि धारा 88 में विनिर्दिष्ट किया गया है, वहां आयुक्त, कर, ब्याज, शास्ति दर्शित करते हुए कोई रकम या अधिनियम के अधीन शोध्य किसी अन्य रकम की वसूली के लिए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-24 में समापक को अधिसूचित करेगा।

---